न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां,
जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी रतनलाल रैगर – आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 190 / 2019

प्रार्थीगण :–

1. सावलराम पुत्र देवाराम,
2. खेमाराम पुत्र देवाराम,
3. हुकमाराम पुत्र देवाराम,
4. हुकमाराम पुत्र लादूराम,
5. लादूराम पुत्र पेमाराम,
6. शिवनाथराम पुत्र पेमाराम,
7. जसूराम पुत्र पोलाराम,
8. भूराराम पुत्र पोलाराम,
9. आसूराम पुत्र कोलाराम,
10. भीयाराम पुत्र दुर्गाराम,

सभी जाति जाट, निवासीगण– गांव औसियां, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

–:: *निर्णय* ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 28/3/19

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थर गड्डी करवानें हेतु निवेदन किया एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि उनकी संयुक्त खातेदारी

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम औसियां, तहसील औसियां जिला जोधपुर के खसरा संख्या 1748 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 1746/2 रकबा 4 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जा काश्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजीयात के पास में ग्राम औसियां की आबादी भूमि स्थित है। आगे प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के चारों ओर काफी पूर्व में कांटो की बाड़ की हुई थी लेकिन काफी समय हो जाने के कारण कांटो की बाड़ सड़ गई थी तो प्रार्थीगण ने तहसीलदार औसियां के समक्ष सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तहसीलदार औसियां ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर सीमाज्ञान करवाया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में आगे निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगडडी करवाना चाहता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के पेरोकार ने जवाब प्रस्तुत करने की बजाय बहस करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण व सरकारी पेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा रकबा के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगडडी करवाने का अधिकारी है। पत्थरगडडी के आदेश से अप्रार्थी की किसी प्रकार के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नही होगा। इसके विपरीत अप्रार्थी के पेरोकार ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया इसके अलावा उपरोक्त खसरा संख्या–1746/2 के कुछ हिस्से पर लोगो ने अतिक्रमण कर रखा है जब तक अतिक्रमण नही हटाया जाता पत्थरगडडी [illegible] पारित नही किया जा सकता। सरकारी पेरोकार ने [illegible] की भूमि को छोड़कर पत्थर गडडी का आदेश पारित किया जा [illegible]ता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने सरकारी पेरोकार को बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि विधि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, औसियां

Scanned by CamScanner

पड़ौसी खातेदार को पक्षकार बनाये जाने का प्रावधान है। वादग्रस्त आराजीयात के पड़ौस में खातेदारी कृषि भूमि स्थित नही है। पड़ौस में आबादी भूमि होने के कारण पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है। इसके अलावा प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र खाली पड़ी प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि पर ही पत्थरगडडी का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया वकील प्रार्थीगण एवं सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के कब्जा सुदा खाली जमीन पर पत्थरगडडी करवाना चाहता है। खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगडडी करवाने का विधिक अधिकार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पड़ौसी खातेदार काश्तकार को पत्थरगडडी के प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के पड़ौस में आबादी भूमि आई हुई है। खातेदार कृषि भूमि नही होने के कारण आबादी भूमि पर काबिज व्यक्तियो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार ओसियां को आदेश दिया जाता है पुलिस सहायता से खसरा संख्या–1746 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर–1746/2 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा की खाली पड़ी प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर पत्थरगडडी करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

रतनलाल रेगर
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां,
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner